कार्यालय : जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या : ६६६ /(भू०अ०)/न०म०पा०-प्रथम/लखनऊ दिनांकः ०४ सितम्बर २०२१

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिषता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ११ की अधिसूचना

''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अमर शहीदपथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक एलीवेटेड फ्लाई ओवर मार्ग के निर्माण हेतु जिला लखनऊ में कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत मानसरोवर योजना सेक्टर ओ० की ६४४.५० वर्गमीटर भूमि की अत्यावष्यकता है।

२: परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ४० के प्रावधान लागू होगें।

३: प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ४० लागू किये जाने के कारण अधिनियम की धारा ६ में दी गई छूट के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवष्यकता नही होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा ४० उप धारा ४ में वर्णित है।

५: भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नही हो रहा है।

६: अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्श सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित कये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
१	२	३	४	५	६
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर ओ० मानसरोवर योजना	सी-४/५५	६.००
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/५६	२२.००
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/५७	३०.००
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/५८	३७.५०
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/६४	२००.००
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/७२	१३०.००
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/७३	२००.००
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/६७	१६६.००
लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर		सी-४/६८	१२०.००

				योग	९४४.५०

७: अधिनियम की धारा १२ के अन्तर्गत निर्दिश्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवष्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवष्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देष देते है।

८: प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ४० लागू किये जाने के कारण, अधिनियम की धारा ४० उप धारा ४ के अनुसार अध्याय २ से अध्याय ६ के उपबन्ध लागू किया जाना अनिवार्य नही है।

९: अधिनियम की धारा ११ (४) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिश्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नही कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, ६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(अभिशेक प्रकाष)
जिला कलेक्टर,
लखनऊ,